

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10

भारत



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

84AC 989630



पण्डित मिश्री लाल राम राजा
लिखित प्रमाण - गिफ्ट 49633
र-मु-पत्र

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
न्याय सचिवालय तथा बिद्वान
बेजाबाद (उ.प्र.)

23/02/16

कृष्ण प्रकाश शिवादी
प्रबन्धक
प० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
बलिकपुर डामासंगर-उ.प्र.

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : पण्डित मिश्रीलाल रामराजी शिक्षण सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम-मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, तहसील-सदर जिला-फैजाबाद।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :



1. बालक/बालिकाओं को सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

शिक्षा जगत की बहुआयामी नये-नये प्रोग्राम जैसा सरकार योजना बनाये उसे संस्थान में लागू करने हेतु यथा सम्भव प्रयास करना।

3. क्षेत्रीय आपदाओं/राष्ट्रीय संकट, भूकम्प, बाढ़, सूखा, भू-स्खलन, मार्ग दुर्घटना, अग्नि काण्ड एवं भयंकर बीमारियों आदि के समय एवं आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

बालक/बालिकाओं को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना तथा समय-समय पर प्रतियोगितायें आयोजित कर विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास करना।

5. ज्ञानवर्धक हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय एवं छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था करना।

6. गरीब एवं असहाय बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी-कालीन, टंकण, आशुलिपिक, बालवाड़ी, आँगनवाड़ी एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाकर की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, सतत् शिक्षा आदि का निःशुल्क संचालन करना।

7. केन्द्रीय विद्यालय C.B.S.E., I.C.S.E., N.C.E.R.T., एवं शिक्षा परिषद से मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

8. समाज में व्याप्त अन्धविश्वास जैसे दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, आदि की रोक थामा के प्रति लोगों को जागरूक करना।

9. बच्चों के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम व प्रचलित अन्य खेलों का आयोजन करना।

10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/तथा वित्तीय संस्थाओं/एजेन्सियों/शिक्षा विभाग/खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं उनके कार्यक्रमों को संचालित करना तथा आर्थिक सहायता के रूप में ऋण अनुदान प्राप्त करना।

11. शिक्षा के विकास हेतु सभी समुदाय के लिये प्रि-प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज स्तर तक की शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं (यथा प्रि-प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज) की स्थापना एवं संचालन करना जिसके दरवाजे सभी जाति, धर्म, समुदाय के लिये खुले रहेंगे।

शेष पेज.....(2) पर

कृष्ण प्रकाश तिवारी
जयशंकर देव तिवारी
सूरजमल लाल

अरुण कुमार पाण्डेय
सत्य प्रकाश तिवारी
इन्द्रपाल तिवारी
दीपा पाण्डेय

कमला देवी
अम्बिका प्रसाद तिवारी
शीलजा प्रसाद देवी
शंगोत्री

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म सचिवियां तथा निबन्धक
फैजाबाद (उ० प्र०)

23/02/16

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक

प० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेमर-अयोध्या

12. उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, लघु कुटीर उद्योग विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाने व उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, तेलधानी उद्योग आदि से सम्बन्धित उपयोगी जानकारी देने व उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनको निःशुल्क संचालन करना।

13. विकलांगों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिये शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना।

14. महिलाओं के कल्याण हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना।

15. छात्र, छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का सुयोग्य नृगरिक बनाने तथा उनके अन्दर आत्म विश्वास, सदाचार, स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

16. सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, डवाकरा, सिप्सा, सैफ इन्डिया, हेल्पेज इन्डिया, राजीव फाउन्डेशन, नौराह, आवस्केम इन्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ०प्र० एवं केन्द्र, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ०प्र०, विकलांग निदेशालय द्वारा संचालित महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।

17. पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं लोगो में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

18. साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं उपभोक्ता कल्याणार्थ सम्बन्धित विभाग एवं पर्यावरण संस्थान व जनकल्याण के क्षेत्र में मिलजुलकर कार्य करना। पालीटेक्निक प्रशिक्षण कालेज, मिनी आई०टी०आई०, आई०टी०आई०, तकनीकी प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं संचालन करना।

19. नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जूनियर टीचर्स ट्रेनिंग, कम्प्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग, गेम टीचर्स ट्रेनिंग, आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग, म्यूजिक टीचर्स ट्रेनिंग एवं अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

20. बी०एड०, बी०पी०एड०, एम०एड०, बी०टी०सी०, आदि पाठ्यक्रमों की शासन से मान्यता प्राप्त कर उसका संचालन करना।

21. प्रशिक्षित अध्यापकों को एकत्रित कर उनके विकास हेतु काम करना।

22. विभिन्न प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण से सम्बन्धित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

कृष्ण प्रकाश तिवारी
बिन्दु देवी तिवारी
संगम लाल

अरुण कुमार पाण्डेय
सत्य प्रकाश तिवारी
इन्द्रपाल तिवारी
दीपा पाण्डेय
कमला देवी

अश्विका प्रसाद निपाठी
शीतला प्रसाद डुबे
शंभोत्री

सत्य प्रशिक्षण

उप निबन्धक
कर्म सचिविणी युवा विभाग
द्वारा जारी (उ०प्र०)

23/02/16

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक

प० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेगर-अधोध्या

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पते एवं पद जिनको सोसाइटी नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्र.सं०	नाम पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री कृष्णप्रकाश तिवारी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी	ग्राम-मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर जिला-फैजाबाद।	अध्यक्ष/ प्रबन्धक	समाजसेवा
2.	श्री अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र श्री मनमोहन पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट-पण्डितपुर, जिला-फैजाबाद।	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री नरेन्द्रदेव तिवारी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी	ग्राम-मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर जिला-फैजाबाद।	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
4.	श्री संगमलाल मौर्य पुत्र स्व० वंशगोपाल मौर्य	जपती तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद।	सचिव	कृषि
5.	श्री शीतला प्रसाद दूबे पुत्र श्री रामअजोर दूबे	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	अध्यापक
6.	श्री सत्यप्रकाश तिवारी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	व्यापार
	श्री इन्द्रपाल तिवारी पुत्र स्व० मिश्रीलाल तिवारी	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	कृषि
8.	श्री अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व० मिश्रीलाल तिवारी	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	कृषि
9.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	गृहिणी
10.	श्रीमती दीपा पाण्डेय पत्नी श्री सत्य प्रकाश तिवारी	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	गृहिणी
11.	श्रीमती गंगोत्री पत्नी श्री नरेन्द्र देवी तिवारी	ग्राम- मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, जिला-फैजाबाद।	सदस्य	गृहिणी

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण ने उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं सलग्न नियमावली के नियमानुसार एक संस्था का गठन किया है जिसे हम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक

15/02/2016

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

उप निबन्धक
सत्य प्रतिलिपि तथा विवरण
कर्म समिति (उ० ४००)
फैजाबाद

23/02/16

कृष्ण प्रकाश तिवारी
नरेन्द्र देव तिवारी
संगम लाल
अरुण कुमार पाण्डेय
सत्य प्रकाश तिवारी
इन्द्रपाल तिवारी
दीपा पाण्डेय
कमला देवी
अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी
शीतला प्रसाद दूबे
गंगोत्री

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक
प० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेमर-अयोध्या

नियमावली

1. संस्था का नाम : पण्डित मिश्रीलाल रामराजी शिक्षण सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम-मलिकपुर, पोस्ट-डाभासेमर, तहसील-सदर जिला-फैजाबाद।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य : अक्षरशः स्मृति-पत्र के अनुरूप।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:-

कोई भी वयस्कता प्राप्त भारतीय व्यक्ति जो संस्था के स्मृति-पत्र में वर्णित उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान हो संस्थापक सदस्यों की पूर्व अनुमति पर निर्धारित सदस्यता शुल्क का संदाय कर संस्था की साधारण सभा का सामान्य सदस्य बन सकता है। संस्था में सदस्यों का वर्गीकरण निम्नवत है:-

आजीवन सदस्य:-

वह व्यक्ति जो संस्था को निःस्वार्थ भाव से 10,000/रु० नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

संस्थापक सदस्य:-

इस नियमावली के साथ संलग्न स्मृति-पत्र की धारा 5 में उल्लिखित प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी व सदस्यगण संस्था के संस्थापक सदस्य हैं एवं संस्था की सदस्यता के सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम है।

प्रबुद्ध शिक्षाविद समाज के सम्मानित व्यक्ति को संस्थापक सदस्यों के अनुमोदन पर संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, जिनकी संख्या एक समय में पांच से अधिक न होगी एवं इन सदस्यों की सदस्यता अवधि पांच वर्ष होगी तथा इन सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होगा।

अर्हता प्राप्त कोई भी व्यक्ति संस्थापक सदस्यों की पूर्व अनुमति पर 100 रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करके संस्था का सामान्य सदस्य बन सकता है।

6. सदस्यता की समाप्ति:-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक सिद्ध होने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
5. त्याग-पत्र दिये जाने पर।
6. नैतिक अपसंघ में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
7. तीन वर्ष तक का सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
8. लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
9. भारत की नागरिकता त्याग देने पर।

7. संस्था के अंग:-

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक

प० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेमर-अयोध्या

8. साधारण सभा गठन, बैठक, कोरम, सूचना तथा कार्य:-

- गठन:- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
- बैठक:- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता अनुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।
- सूचना अवधि:- साधारण सभा की सामान्य सभा की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व लिखित रूप से सदस्यों को दी जायेगी।
- गणपूर्ति:- साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त होगी।

साधारण सभा के कर्तव्य:-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पारित करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन:-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति:-

संस्था की साधारण सभा द्वारा निर्वाचन के आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष/प्रबन्धक-1, सचिव-1, कोषाध्यक्ष-1 तथा सदस्य-8, होंगे। इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कुल संख्या 11 होगी।

बैठक:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार व विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता अनुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य सभा की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति:-

किसी भी प्रकार की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य:-

1. संस्था के विकास के लिए कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, विदेशी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, चन्दा, अनुदान व दान प्राप्त करना तथा भूमि-भवन दान स्वरूप प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

कार्यकाल:-

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक
प० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डामासंगर-अधोध्या

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

अध्यक्ष/ प्रबन्धक:-

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांक एवं समय का अनुमोदन करना।
4. बैठकों को स्थगित करना।
5. संस्था की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना।
6. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
7. संस्था के समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
8. संस्था के आय-व्यय का निरीक्षण करना।
9. लेखों एवं अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
10. संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
11. सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना।
12. अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।
13. कार्यवाहियों एवं अध्यापकों, के विशेष अवकाशों की स्वीकृति, नियुक्ति, निष्काशन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि करना।
14. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
15. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत करना।
16. संस्था के विकास हेतु अन्य आवश्यक कार्य करना।
17. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावों, निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
18. संस्था के अभिलेख एवं प्रपत्र संस्था के कार्यालय में अपनी या अपने द्वारा सुनिश्चित किये गये व्यक्ति की अभिरक्षा में सुरक्षित रखना।
19. बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण करना।
20. संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष करना तथा उसकी रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
21. वे सभी अधिकार एवं कर्तव्य अध्यक्ष/प्रबन्धक के माने जायेंगे जिनका उल्लेख किसी अन्य पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य के शीर्षक में नहीं किया गया है।
22. संस्था के सदस्यों का नाम सदस्यता रजिस्टर में नोट करना।

सचिव:-

1. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
3. कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं सुनाना।
4. अन्य कार्य संस्था के हित में करना।
5. अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाहन करना एवं अध्यक्ष/प्रबन्धक के कार्यों में अपेक्षित सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष:-


1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2. दान व चन्दा आदि प्राप्ति कर उसकी रसीद देना।
3. अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित समस्त बिल का भुगतान करना।

11. संस्था का वित्तीय वर्ष:-

संस्था का प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा।

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक

40 मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेमर-अयोध्या



सत्य प्रतिनिधि
उप निबन्धक
कर्म समिति
मैलाबाद (उ.प्र.)
23/02/16

कृष्ण प्रकाश तिवारी
जय शंकर देव तिवारी
वेदामिता
अरुण कुमार पाण्डेय
सत्य प्रकाश तिवारी
इन्दुपाल तिवारी
दीपा पाण्डेय
कमला देवी
अश्विका प्रसाद तिवारी
शीतला प्रसाद दुबे
शंशोत्री

12. संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

13. संस्था का कोष :-

संस्था को कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

14. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षण आवश्यकतानुसार किसी सुयोग्य आडिटर से कराया जायेगा।

15. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था द्वारा पक्ष एवं विपक्ष के मुकद्दमों की पैरवी अध्यक्ष/प्रबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

16. संस्था के खाते मिलेख:-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

17. संस्था का विघटन:-

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



सत्य प्रतिलिपि

दिनांक

15/02/2016

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
सर्वे सभितियाँ तथा बिद्ध
केजाबाद (उ० प्र०)

23/02/16

हस्ताक्षर

कृष्ण प्रकाश शिवारी
बंशेन्द्र देव शिवारी
बंश गमल लाल

अरुण कुमार पाठेय
सत्य प्रकाश शिवारी
इन्द्रपाल शिवारी
दीपा पाठेय

कमला देवी
अश्विका प्रसाद शिवारी
शीतला प्रसाद शिवारी
शेगोत्री

कृष्ण प्रकाश शिवारी
प्रबन्धक

पं० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डा.भा.से.म.अ.यो.ध्या